[2008] 2 एस. सी. आर 984

चेरोट्टे सुगाथन (मृतक) LR 'S के माध्यम से व अन्य

बनाम

चेरोट्टे भारती व अन्य

(सिविल अपील सं. 1323/2008)

फरवरी 15,2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856- धारा 2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14 - मृत पति की सम्पति में विधवा का अधिकार- पति की मृत्यु - 1976 - पति की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा ने पुनर्विवाह किया- पति के पिता की सम्पत्ति में अपने हिस्से हेतु विधवा द्वारा विभाजन का वाद।

अवधारितः वह अपने पति की मृत्यु पर डिक्री की हकदार है, उसका हिस्सा 1956 अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार पूरी तरह से उसके पास निहित है - 1856 अधिनियम की धारा 2, 1956 अधिनियम के प्रावधानों पर लागू नहीं होगी, धारा 4 और 24 के परिप्रेक्ष्य में।

एक 'एसपी' ने 11.10.1975 को एक वसीयत निष्पादित कि जिसमें अपनी सम्पत्ति अपने बेटों के पक्ष में कर दी और 20.10.1975 को अपनी पत्नी को मासिक भत्ता एवं घर में निवास का अधिकार देने का प्रावधान किया। दि. 2.8.1976 को एक बेटे 'पी' की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा - प्रथम प्रतिवादी ने पुनर्विवाह किया। उसने

दि. 31.12.85 को वादग्रस्त संपत्ति में 1/3 हिस्से का दावा करते हुए विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया, जो डिक्री हुआ।

'एसपी' के पीड़ित बेटों ने अपील दायर की। 'एसपी' की बेटियों ने भी अलग-अलग अपीलें इस आधार पर की कि कथित वसीयत वैध नहीं थी। उच्च न्यायालय ने बेटियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और मामले को वसीयत की वैधता तय करने के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 के आधार पर 'एस' की विधवा का अपने पति से विरासत में मिली संपत्तियों में अधिकार समाप्त हो गया है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के प्रावधानानुसार किसी हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी सम्पति चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, वह उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के रूप में रखी जाएगी। [पैरा11] [989-ई]

1.2 'एस' की मृत्यु पर, उसका हिस्सा प्रथम उत्तरदाता में पूर्णरूप से निहित है। संपत्ति का ऐसा पूर्ण स्वामित्व उसे किसी क़ानून के अलावा किसी अन्य कारण से विनिवेश के अधीन नहीं किया जा सकता है। [पैरा 12] [989-जी; 990-ए]

2. इस मामले में, उत्तराधिकार नहीं खोला गया था जब 1956 अधिनियम लागू हुआ।

हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 एक सीमित अधिकार की बात करती है लेकिन जब 2.8.1976 को उत्तराधिकार खोला गया, तो पहली उत्तरदाता

अधिनियम 1956 की धारा 14 उप-धारा (1) के अनुसार अपने पति से विरासत के कारण संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गयी। अधिनियम 1956 की धारा 4 का अधिभावी प्रभाव है। इस प्रकार 1956 के अधिनियम के प्रावधान किसी भी हिंदू कानून के विषय या 1856 के अधिनियम के प्रावधानों पर अधिभावी होंगे। अधिनियम 1856 की धारा 2, अधिनियम 1956 की धारा 4 और 24 के परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम के प्रावधानों पर अधिभावी नहीं होगी। [पैरा 13] [990-ए, बी, सी]

3. 1956 के अधिनियम की धारा 8 हिन्दू पुरूष की विधवा को अनुसूची के वर्ग 1 में निर्दिष्ट अनुसार बेटा- बेटी और अन्य उत्तराधिकारियों के साथ विरासत की अनुमति देता है। वास्तव में वह अपना हिस्सा पूर्णरूप से लेती है ना कि धारा 14 में वर्णित विधवा की संपति के प्रावधानों अनुसार। 1956 के अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विधवा का पुनर्विवाह वैध है लेकिन उसके पुनर्विवाह पर वह अपने मृत पति की संपति से कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकार खो देती है और अधिनियम 1856 की धारा 2 में विशिष्ठ प्रावधान है कि ऐसी स्थित में संपत्ति उसके मृत पति के अगले उत्तराधिकारी के पास चली जाएगी जैसे की वह मर चुकी है। संयोगवस 1856 का अधिनियम, 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और केवल 1983 के अधिनियम 24 द्वारा ही यह अधिनियम निरस्त किया जाता है। [पैरा 15] [991-बी, सी, डी, ई]

कस्तुरी देवी बनाम डिप्टी डायरेक्टर आॅफ कन्सोलीडेशन AIR 1976 SC 2595 एवं वेलामुरी बेंकटा शिवप्रसाद (मृतक LR 'S के माध्यम से) बनाम कोथुरी बेन्कटेश्वरलू (मृतक LR 'S के माध्यम से) (2000) 2 एससीसी 139 - पर भरोसा किया।

चंदो मेहतैन व अन्य बनाम खुबलाल महतो व अन्य AIR 1983 पटना 33 और थंकम बनाम राजन AIR 1999 केरल 62- पुष्टि की।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1323/2008

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के निणर्य और आदेश दि. 07.07.2003 1992 प्रकरण सं. AS No. 645 of 1992 (एन) से

के. राजीव अपीलार्थियों के लिए।

ए. रघुनाथ उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा जे. के द्वारा दिया गया और अनुमति प्रदान की गई।

2. क्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगी यह इस अपील में प्रश्न है।

3. इसके तथ्य इस प्रकार हैः

विवादित संपत्तियां श्री परवाकुट्टी की थीं। उनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं, जिनके नाम सुगाथन, सुरेंद्रन, सुकुमारन उर्फ सोमन, सौमिनि और करहियानी थे। उसने कथित तौर पर दि.11.10.75 को अपने बेटों के पक्ष में अपनी सम्पति की एक वसीयत निष्पादित की। उक्त वसीयत में कथित तौर पर श्री परवाकुटि प्रतिवादी सं. 3 (मृत्यु होने के कारण) उसकी पत्नि को मासिक भत्ते का भुगतान करने के साथ-साथ वहां

स्थित घर में रहने के अधिकार का भी प्रावधान किया था।श्री परवाकुट्टी का निधन दि. 20.10.1975 को हो गया। सुकुमारन की मृत्यु 2.8.1976 को हुई।

4. प्रथम उत्तरदाता उसकी विधवा है। प्रथम उत्तरदाता ने एलाम्बिलक्कट सुधाकरन से पुनर्विवाह किया। सुधाकरन की मृत्यु 12.9.1979 को हो गई। उसने वादगस्त संपत्ति के संबंध में विभाजन का वाद 31.12.85 को अपने 1/3 हिस्से हेतु प्रस्तुत किया। इसमें अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि वह, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 2 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उसके पति सुकुमारन से उसे विरासत में मिली संपत्तियों में उसका अधिकार नहीं रह गया है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।

उत्तरदाता सं. 2 और 3, श्री परवाकुट्टी की बेटी ने अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया है कि कथित वसीयत दिनांकित 11.10.1975 वैध नहीं थी।

5. निर्णय व आदेश दि. 31.03.92 के द्वारा उक्त विभाजन का वाद प्रथम उत्तरदाता का 1/3 हिस्सा घोषित करते हुए डिक्री किया गया। यह मत व्यक्त किया गया कि चूंकि वसीयतकर्ता ने अनुसूची की मद संख्या2 में निहित किरायेदारी अधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है इसलिए वह विभाजन के लिए उपलब्ध था।

अपीलकर्ताओं ने इसके विरूद्ध अपील दायर की। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (प्रतिवादी संख्या 4 और 5) ने भी अलग-अलग अपील प्रस्तुत की।

6- आक्षेपित निर्णय के कारण उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा की गई अपीलों को यह कहते हुए स्वीकार कर लियाः

> "इस मामले में वादी ने वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार का दावा किया है। यदि ऐसा है तो निचली अदालत का यह मत सही था कि

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 प्रतिवादी सं. 1 व 2 पर लागू नहीं है। लेकिन यदि उत्तराधिकार वसीयत के आधार नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 लाभ पाने के हकदार है।"

1856 के अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"जहाँ तक इस मामले का संबंध है, हमारे अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 24 लागू होती है और वादी सफल होने का अधिकारी है।"

यह निर्देशित किया गया थाः

"मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, अपीलों का निपटारा निम्नानुसार किया जाता हैः

वसीयत की वैधता के संबंध में विवाद बिन्दू तय करने और पक्षों को इसके बारे में सबूत पेश करने और वसीयत वैध है या नहीं, इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए मामले को निचली अदालत में भेज जाता है। निर्णय में ए अनुसूची के आइटम नंबर 1 में भवन निर्माण के संबंध में निष्कर्ष को छोड़कर अन्य निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है। यदि निचली अदालत यह मानती है कि वसीयत वैध नहीं है, तो भवन में निवास के संबंध में प्रतिवादी 1 और 2 के विवाद पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।"

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री के. राजीव ने अपील के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि 1856 अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों को

ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 का पुनर्विवाह 12.2.1979 को होने के कारण उसे अपने पति से विरासत में मिली संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं है।

8. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रघुनाथ फैसले का समर्थन किया।

9. हिंदू विधवाओं के विवाह में सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 1 में उक्त कानूनी नीति शामिल है। धारा 2 इस प्रकार है:

> "2.मृत पति की संपत्ति में विधवा का अधिकार उसके विवाह पर समाप्त हो जाएगाः सभी अधिकार और हित जो किसी भी विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में भरण-पोषण के रूप में, या अपने पति या उसके वंशज उत्तराधिकारियों को विरासत के रूप में, या किसी भी वसीयत या वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त हो सकते है पुनर्विवाह की स्पष्ट अनुमति के बिना, ऐसी संपत्ति में केवल एक सीमित हित, उसे अलग करने की कोई शक्ति नहीं, उसके पुनर्विवाह पर समाप्त हो जाएगी और यह निर्धारित किया जाएगा कि वह तब मर गई थीर और उसके मृत पति के अगले उत्तराधिकारी, या उसकी मृत्यु पर सम्पत्ति के हकदार अन्य व्यक्ति, उसके उत्तराधिकारी होंगे।"

10. उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों का परीक्षण किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 में अधिनियम के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान किया गया है:

"4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव-(1) इस अधिनियम अभिव्यक्ततः उपबिन्ध के सिवाय-

(क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूवर् प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपलब्ध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी,

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिन्दुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी से भी असंगत हो।"

11. अधिनियम ने शास्त्री हिंदू कानून में एक बड़ा बदलाव लाया। हिंदू विधवाओं को विरासत और उत्तराधिकार के मामले में पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ समान स्तर पर लाया गया। धारा 14(1) में कहा गया है कि किसी महिला हिंदू के पास मौजूद कोई भी संपत्ति, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, वह उसके द्वारा पूर्ण मालिक के रूप में रखी जाएगी। धारा 24, जैसा कि तब था, इस प्रकार है:

"24. पुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाओं को विधवा के रूप में विरासत नहीं मिल सकती है- कोई भी उत्तराधिकारी जो पूर्व मृत बेटे की विधवा, पूर्व मृत बेटे की विधवा, पूर्व मृत बेटे या भाई की विधवा के रूप में हित से संबंधित है, वह ऐसी विधवा के रूप में हित की

संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा हो जिस तारीख को उत्तराधिकार खुलता है, उसने पुनर्विवाह कर लिया है।"

12. सुकुमारन की मृत्यु पर उसका हिस्सा पूर्णतः प्रथम प्रतिवादी में निहित हो गया। संपत्ति का ऐसा पूर्ण स्वामित्व का विनिवेश उसे किसी क़ानून के अलावा किसी अन्य कारण के अधीन नहीं किया जा सकता है।

13. 1956 का अधिनियम लागू होने पर इस मामले में उत्तराधिकार नहीं खुला था। 1856 अधिनियम की धारा 2 एक सीमित अधिकार के बारे में बात करती है लेकिन जब 2.8.1976 को उत्तराधिकार खोला गया, तो पहली प्रतिवादी धारा 14 की उपधारा (1) के संदर्भ में अपने पति से विरासत के आधार पर संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई। 1956 अधिनियम के.

1956 अधिनियम की धारा 4 का अधिभावि प्रभाव है। इस प्रकार, 1956 अधिनियम के प्रावधान, किसी भी हिंदू कानून के पाठ या 1856 अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 1856 अधिनियम की धारा 2 अधिनियम 1956 के प्रावधानों पर प्रभावी नहीं होगी अधिनियम 1956 की धारा 4 और 24 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में।

14. हमारे सामने जो प्रश्न रखा गया है वह अब अनिर्णीत विषय रह गया है।

चंदो मेहताइन और अन्य बनाम खुबलाल मेहतो और अन्य [एआईआर 1983 पटना 33], पटना उच्च न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है:

"हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन बाद वाले अधिनियम की धारा 4 का एक प्रभावशाली प्रभाव है और वास्तव में

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 के संचालन को निरस्त करता है। धारा 4 के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सभी मौजूदा कानून, चाहे अधिनियम के रूप में हों या अन्यथा, हिंदुओं पर लागू होना बंद हो जाएंगे, जब वह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत हैं।"

कस्तुरी देवी बनाम डिप्टी डायरेक्टर आॅफ क्न्सोलीडेशन AIR 1976 SC 2595 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मां को अनैतिकता या पुनर्विवाह के आधार पर मृत बेटे जी की संपत्ति में उसके हित से वंचित नहीं किया जा सकता है।

थैंकम बनाम राजन [एआईआर 1999 केरल 62] में केरल उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी का पुनर्विवाह उसके मृत पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार खोने का आधार नहीं हो सकता।

15 एक बार फिर इस न्यायालय ने, वेलामुरी बेंकटा शिवप्रसाद (मृतक LR 'S के माध्यम से) बनाम कोथुरी बेन्कटेश्वरलू (मृतक LR 'S के माध्यम से) (2000) 2 एससीसी 139 - में अभिनिर्धारित किया किः

"52. संयोग से, 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 24 ने पुनर्विवाह की स्थिति में कुछ निर्दिष्ट विधवाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए; जबकि यह सच है कि धारा पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत के पुत्र की बात करती है , लेकिन हमारे विचार में यह क़ानून पर शास्त्रीय कानून का प्रतिबिंब है। धारा 8 के संदर्भ में 1956 का अधिनियम एक हिंदू पुरुष की विधवा को बेटे, बेटी और कक्षा 1 में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों के साथ- साथ विरासत की अनुमति देता है। अनुसूची के अनुसार, वास्तव में वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा लेती है ना कि

धारा14 में वर्णित केवल विधवा की संपत्ति के रूप में।1956 के अधिनियम के शामिल होने के कारण एक विधवा का पुनर्विवाह वैध हो गया है, लेकिन उसके पुनर्विवाह पर वह अपने मृत पति की संपत्ति से कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार खो देती है और 1856 के अधिनियम की धारा 2 जैसा कि ऊपर देखा गया है, बहुत विशिष्ट है ऐसी स्थिति में संपत्ति उसके मृत पति के अगले उत्तराधिकारी को दे दी जाएगी जैसे कि वह मर गई हो। संयोग से, 1856 का अधिनियम 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं होता है और केवल 1983 के अधिनियम 24 द्वारा ही यह अधिनियम निरस्त होता है। इस प्रकार 1856 का अधिनियम 1956 में प्रासंगिक तथ्यों में पूर्ण रूप से लागू हुआ जब प्रतिवादी 1 द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) पर भरोसा किया गया।"

हम उक्त दृष्टिकोण से आदरपूर्वक सहमत हैं।

22. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। इसलिए, काॅस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश पुनेठा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।